an>

Title: Issue regarding Kutku dam under North Koel Irrigation Projects in Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदया, आपने किसानों से जुड़े हुए एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, मैं बिहार राज्य से चुनकर आता हूँ। वहाँ एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। इस सिंचाई परियोजना के काम को शुरू हुए 40 साल हो गए हैं, हजारों करोड़ रूपए अभी तक खर्च हो गए। लगभग सात-आठ हजार हेक्टेअर जमीन किसानों से लेकर नहरों को बनाने के लिए खोद दी गई, लेकिन अभी तक यह सिंचाई परियोजना अधूरी है। वर्ष 2007 में यूपीए की तत्कालीन सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इस सिंचाई परियोजना के कुटकु डैम में स्लुईस गेट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ डैम तो पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन उसमें जल-जमाव नहीं होता ताकि पानी सिंचाई के काम में आ सके। सवा लाख हेक्टेअर जमीन की सिंचाई करने वाली यह परियोजना है, जिससे झारखंड राज्य के पलामू और बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की सवा लाख हेक्टेअर जमीन की सिंचाई होगी। पाँच लाख किसान परिवार इससे प्रभावित हैं। इस परियोजना से 25 मेगावॉट पनबिजली भी तैयार होगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह प्रश्न रखते हुए भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा, माँग करूँगा कि वर्ष 2007 में जो प्रतिबन्ध वन पर्यावरण मंत्रालय ने कुटकु डैम में फाटक लगाने पर लगाया है और यह शर्त रखी है कि जब तक 6,203 हेक्टेअर जमीन राज्य सरकार वनीकरण के लिए नहीं देगी, तब तक यह प्रतिबन्ध नहीं हटाया जाएगा, किसानों के हित में जो पूरा का पूरा इलाका वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, खेतिहर मजदूरों के हित में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि यह जो प्रतिबन्ध फाटक लगाने पर लगा है, उसे हटाया जाए, ताकि डैम में पानी जमा हो सके और वह पानी सिंचाई के काम आए।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री हरीश मीना जी - उपस्थित नहीं।

मान साहब, आप क्या विषय उठाना चाहते हैं, बताइये।